सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

**नजरसानी प्रकरण सं0 17/2015**

1. प्रविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर
2. हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 3 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. गेजा सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर
4. सुवेग सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर

अप्रार्थी

**निगरानी विरूद्व विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर व सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. दिनांक 10.11.1986 को निगरानीकर्तागण का पट्टा निरस्त करने का आदेश दिया गया बामुराद मन्सुखिया है।**

उपस्थित :–
1. श्री तेजा सिंह एवं ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री सुरेश अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 व 04

**आदेश** **दिनांकः 28.05.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत 37 आरबीए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 के रहने वाले है। निगरानीकर्ता हरभजन कौर के पास आहता संख्या 142–140 तथा अवतार सिंह के नाम आहता संख्या 138–136 व बलवन्त सिंह के पुत्र प्रमिन्द्र सिंह के नाम आहता संख्या 139–137 तथा सुखविन्द्र सिंह के पास आहता सख्या 141–135 है। उपरोक्त प्लाटस की निगरानी को ग्राम पंचायत द्वारा निलामी पर दिया गया जिस पर निगरानीकर्ता ने उपरोक्त प्लाटस निलामी दिनांक 24.06.1983 को लिये जिसकी तमाम राशि जमा करवाने के बाद दिनांक 06.08.1983 को पट्टे जारी किये गये तब से लेकर आज तक कब्जा निगरानीकर्ता के पास चला आ रहा है। अब मौका पर निगरानीकर्ता का कब्जा है। निगरानीकर्ता को बिना नोटिस जारी किये बिना निगरानीकर्ता को सुने ही बिना किसी आधार पर निगरानीकर्ता के पट्टे निरस्त करने का आदेश दिया। निलामी स्वीकार होने के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बाद उसे निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है बल्कि पट्टा जारी होने के बाद पट्टा निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है यह तथ्य भी अधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया इसलिए भी अधिनिस्थ न्यायलय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही कोई सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। सचिव प्रशासक को पट्टा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है तथा जो पट्टे निरस्त किये गये उनमें निगरानीकर्ता को छोडकर बाकी के तमाम पट्टे बहाल कर दिये है लेकिन निगरानीकर्ता के ही पट्टे निरस्त करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पारित करने से पूर्व किसी नियम की पालना नहीं की गई है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अब निगरानीकर्ता को कुछ रोज पहले बेदखल करने की कोशिश की तो निगरानीकर्ता ने एक सिविल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया चूंकि अब निगरानीकर्ता को पता चला कि निगरानीकर्ता के पट्टे निरस्त कर दिये है इसलिए इस आदेश के खिलाफ निगरानी जनाबवाला के समक्ष पेश कर रहा है। चूकिं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज करने योग्य है जिसकी कानूनी कोई मियाद नहीं है फिर भी निगरानीकर्ता को आदेश की जानकारी होने पर निगरानी पेश कर रहा है। लिहाजा निगरानी पेश करके निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.11.1986 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत 37 आरबीए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 के रहने वाले है। निगरानीकर्ता हरभजन कौर के पास आहता संख्या 142–140 तथा अवतार सिंह के नाम आहता संख्या 138–136 व बलवन्त सिंह के पुत्र प्रमिन्द्र सिंह के नाम आहता संख्या 139–137 तथा सुखविन्द्र सिंह के पास आहता सख्या 141–135 है। उपरोक्त प्लाटस की निगरानी को ग्राम पंचायत द्वारा निलामी पर दिया गया जिस पर निगरानीकर्ता ने उपरोक्त प्लाटस निलामी दिनांक 24.06.1983 को लिये जिसकी तमाम राशि जमा करवाने के बाद दिनांक 06.08.1983 को पट्टे जारी किये गये तब से लेकर आज तक कब्जा निगरानीकर्ता के पास चला आ रहा है। अब मौका पर निगरानीकर्ता का कब्जा है। निगरानीकर्ता को बिना नोटिस जारी किये बिना निगरानीकर्ता को सुने ही बिना किसी आधार पर निगरानीकर्ता के पट्टे निरस्त करने का आदेश दिया। निलामी स्वीकार होने के बाद उसमें निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है बल्कि पट्टा जारी होने के बाद पट्टा निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है यह तथ्य भी अधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया इसलिए भी अधिनिस्थ न्यायलय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही कोई सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का आदेश निरस्त करने योग्य है। सचिव प्रशासक को पट्टा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है तथा जो पट्टे निरस्त किये गये उनमें निगरानीकर्ता को छोडकर बाकी के तमाम पट्टे बहाल कर दिये है लेकिन निगरानीकर्ता के ही पट्टे निरस्त करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पारित करने से पूर्व किसी नियम की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निम्न नजीर पेश की है:–

1. **डी.एन.जे.2005(2) पेज– 620 से 623**

नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में सुनवाई का अवसर दिये बिना पट्टा निरस्त करने का आक्षेप वकील निगरानीकर्ता द्वारा किया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. के नोटिस बोर्ड पर नीलामी अस्वीकार की सूचना निगरानीकर्ता 1 के पिता व 2 और 3 स्वयं को संबोधित करते हुए बाकायदा नोटिस चस्पा करके की गई थी।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा जिन भूखण्डो के सम्बन्ध में निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है उसमें तमाम कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा की गई थी तथा तमाम तथ्य निरीक्षण दल तथा ग्राम सचिव के समक्ष रखे गये थे जिनके आधार पर पूर्व सरपंच द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर लगभग 29 पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों के नाम से जारी कर दिये गये थे। उनमें से हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह के पास आहता संख्या 142–140 व बलवन्त सिंह के पुत्र प्रमिन्द्र सिंह के नाम आहता संख्या 139–137 तथा सुखविन्द्र सिंह के पास आहता सख्या 141–135 है, के सम्बन्ध में निगरानी पेश की गई है तथा तथ्यों को छिपाते हुए कार्यवाही की जा रही है। आहता संख्या 142–140 व बलवन्त सिंह के पुत्र प्रमिन्द्र सिंह के नाम आहता संख्या 139–137 तथा सुखविन्द्र सिंह के पास आहता सख्या 141–135 जो निरस्त किये गये विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर निरस्त किये गये है। इस प्रकार निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी भूखण्ड वाके चक 37 आरबीए के हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह आहता संख्या 142–140 व बलवन्त सिंह के पुत्र प्रमिन्द्र सिंह के नाम आहता संख्या 139–137 तथा सुखविन्द्र सिंह के पास आहता सख्या 141–135 के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2015 को प्रस्तुत की है और इन्ही भूखण्डों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने एक वाद अनवानी परमिन्द्र सिंह वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अदालत –सिविल न्यायधीश (क.ख.) श्रीगंगानगर के समक्ष वाद संख्या 47/14 दिनांक 01.10.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायायल में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 10.11.1986 ग्राम पंचायत का नही होकर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा किये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह कहीं अंकित नहीं किया कि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान निगरानीकर्ता को कब व किससे हुआ। यह समस्त तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा मात्र इस आवेदन पत्र को रंग देने के लिए झूठे व मनघण्डत अंकित किए गए है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जबकि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान शुरू से ही निगरानीकर्ता को है क्योंकि विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा बाद प्रशासनिक जांच निगरानीकर्ता व इस चक के अन्य कई परिवारों के पट्टे दिनांक 10.11.1986 को निरस्त कर दिए है। इनकी ताईद **"बीडीओ पदमपुर का उक्त वाद में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.11.2014 के अनुसार गांव 37 आर.बी. का अहाता संख्या 135 ता 143 ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए के पास उपलब्ध खसरा रजिस्टर के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 में लिये गये निर्णय अनुसार निरस्त किये गये है "** होती है इसके उपरान्त उक्त अहाताजात को गांव के अन्य निवासियों को अलाट कर दिए गए तथा आवंटन के पश्चात आवंटित व्यक्ति अपने–अपने अहाताजात पर काबिज चले आ रहे है इसी अहाता सख्या 140 को अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को बाद में विधिवत रूप से आवंटित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी 30 वर्षो के बाद पेश की गई है जिसमें हुई देरी का कोई स्पष्ट कारण भी अपने आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा 24.06.1983 को निलामी आम में निगरानीकर्ता की बोली हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह आहता संख्या 142–140 के लिए सबसे अधिक बोली 400/–रूपये व बलवन्त सिंह के पुत्र प्रमिन्द्र सिंह के नाम आहता संख्या 139–137 के लिए सबसे अधिक बोली 400/–रूपये तथा सुखविन्द्र सिंह के पास आहता सख्या 141–135 के लिए सबसे अधिक 400 रूपये होने के कारण निगरानीकर्ता को बोली में दिये गये है जिनका पट्टा दिनांक 05.08.1986 को जारी किया गया जबकि ग्राम पचांयत द्वारा उपलब्ध करवाये गये मूल अभिलेख के तहत उपलब्ध करवाई गई पत्रावलियों को देखने पर पाया गया कि प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 द्वारा उक्त निलामी अस्वीकृत की गई है। स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 के आलोक में अहाता नम्बर 140–142 की पत्रावली संख्या 77 अनवानी श्रीमती हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी., अहाता नम्बर 135–141 की पत्रावली संख्या 74 अनवानी सुखविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. एवं अहाता नम्बर 137–139 की पत्रावली संख्या 76 अनवानी प्रमिन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. का गहनता से अवलोकन किया गया जिनमें प्रकरण की प्रशासनिक जांच कर्ता पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा निम्न आक्षेप लाल स्याही से अंकित किए गए हैः–

1. विक्री पुष्टि के लिए सक्षम अधिकारी के पास नहीं भेजी गई। (नियम 265)
2. प्रस्तुत नक्शा पर नक्शा नवीस तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है।(नियम 257(5)
3. जारी नोटिस दोनो को चस्पा नहीं किया गया।(नियम 260)
4. निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.1983 में प्रार्थी द्वारा कोई अहाता नम्बर की मांग नही की गई है। किस आधार पर इसे अहाता नम्बर 140–142, 135–141 व 137–139 दिया गया ?(नियम 256)
5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। (नियम 260(2)

राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत आबादी भूमि के विक्रय की संपूर्ण प्रक्रिया राज0 पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नियम 255 से 265 में विहित की गई है। निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली में उक्त प्रकिया को नही अपनाए जाने से उपरोक्त आक्षेपों लगाए गये है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विहित प्रकिया की पालना नहीं हुई है। नियमों में विहित प्रावधानों और प्रकिया की पालना नहीं होने के कारण पट्टो की वैद्यता नहीं रही । लिहाजा इन्हें निरस्त करने के आदेश सक्षम स्तर से दिए गए थे। जिसकी पालना में उक्त अहातो के पट्टे तत्समय निरस्त कर दिये गए। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकार द्वारा कोई चाराजोही किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. को बाद प्रशासनिक जांच एवं पं.समिति पदमपुर के द्वारा विक्रय की पुष्टि नहीं किये जाने एवं जांच में विक्रय प्रकिया को आक्षेपित कर लिये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर द्वारा प्रदत आदेशो के तहत विधिक प्रकिया अपनाई जाकर प्रस्ताव 138 दिनांक 10.11.1986 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के पट्टो को, जो कि अहाता सख्या 140–142, 135–141 व 137–139 चक 37 आर.बी. को सार्वजनिक नोटिस दिनांक 15.11. 1986 चस्पांदगी (नियम 259(2) की पालना में) के पश्चात निरस्त करने का ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित किया गया वह विधिसम्मत् है। अतः निगरानीकृत प्रस्ताव सख्या 138 दिनांक 10.11.1986 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत 3 आर. बी.ए. के प्रस्ताव संख्या 138 दिनांक 10.11.1986 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।